

पैना R-19

16.5.18

पञ्जावली लोक न्यायालय में
शिविर आना प्रस्तुत है।
पार्टी के अधिवक्ता / अधिवक्त्रिका

को सुना जाये / याचिका शपथ
पत्र एवं वाद पञ्जावली व्या
जन लोक न्याय विभाग / पार्टी के

द्वारा सर्व प्रस्तुत राजस्व वाद
सदका 6/2011 अनुवाद फौजी कानून
मूल कानून के माध्यम से रजिस्ट्रार
केन्द्रित द्वारा 53-88-89-188 R-1

Act राजस्व लोक न्यायालय शिविर
में दिनांक 22-5-2017 को Order-9
Rule-2 C.P.L. में खारिज किया
जाया था जो तलबाना के कानून
में खारिज किया गया।

वाद सुनने पार्टी याचिका
पार्टी स्वीकार किया जाता है तथा
राजस्व वाद सदका 6/2011 फौजी कानून
रजिस्ट्रार पुनः सुनवाई के सुनवाई पर
लिखे जाने के कोर्टों के माध्यम से
मूल राजस्व वाद सन 6/2011 पुनः दर्ज
रजिस्ट्रार किया जावे।

पञ्जावली लोक न्यायालय द्वारा
मूल राजस्व वाद के सुनवाई की।

